



## DHARM SAMAJ COLLEGE

Provisional Merit List of M.Ed Part-I (2023-2024)

Category : SC

अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यताओं के आधार पर किया गया है। निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर प्रवेशार्थी उपस्थित होकर अपने प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराये। नियत तिथि व समय पर उपस्थित न होने की दशा में उनके प्रवेश पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश सूची के अन्त में दिये गये हैं, अभ्यर्थी उनका गहनता से अध्ययन कर पालन सुनिश्चित करें।

Admission Date		Time		Department Name		
29.08.2023		10:00 AM - 12:30 PM		Teacher's Training Department		
S.No	App No	Student Name	Father Name	Web. Reg	Category	Total Merit
1	236100025	GAURAV MAHOUR	NATHURAM	WRN231417090692	SC	128.46
2	236100096	KM RASHMI SAGAR	JAY PRAKASH	WRN231039750692	SC	127.15
3	236100002	Vinod Kumar	Sohan pal Singh	WRN231090060692	SC	126.1
4	236100007	RACHITA ARYA	MANI RAM ARYA	WRN231068580692	SC	126.02
5	236100061	Shivani Raj	Munna Lal	WRN231047500692	SC	125.73
6	236100105	ASHWANI KUMAR	JAGDISH PRASAD	WRN231325600692	SC	125.52
7	236100104	JEETENDRA SINGH BHARTI	GIRRAJ KISHOR	WRN231326270692	SC	125.42
8	236100264	KM SHALINI	MUNSHI SINGH	WRN231046800692	SC	124.69
9	236100234	MOHINI KUMARI	VIRENDRA SINGH	WRN231350610692	SC	124.37
10	236100052	ARTI SINGH	MANVEER SINGH	WRN231252040692	SC	123.26
11	236100279	Nitaksha Vardhan	Sultan Singh	WRN231034090692	SC	122.34

1. सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार / प्रवेश के समय योग्यता सन्दर्धी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से लाएँ।

2. यदि आरक्षित भूमी के है तो जमीन प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ साथ 1) कुछ अभ्यर्थियों का नाम उनके द्वारा अंकित भूमी के अंगार पर आरक्षित वर्ग में सभिधित कर लिया गया है लेकिन उनके द्वारा प्रदेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उनका नाम आरक्षित वर्ग में सभिधित किया जायेगा।
3. यदि विकलांग है तो मुख्य विधिकार्यालय या विधिकार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ साथ।
4. टीओ सीओ सीओ प्रमाण पत्र व परिषद प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ साथ।
5. वेब रजिस्ट्रेशन एवं अंगार कार्ड की यदि अनिवार्य रूप में सतन करनी होगी, अन्यथा उनको प्रदेश नहीं दिया जायेगा।
6. सत्यापन के समय योग्यताक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो सशक्त योग्यताक के अनुसूच्य ही प्रदेश कार्यवाही की जायेगी।
7. किसी अभ्यर्थी के योग्यताक उसका सूची के अंतर्गत आते है और उसका नाम सूची में नहीं आया है तो उसका प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करना होगा तथा परीक्षण में सत्य पाए जाने पर उसका नाम सूची में सभिधित किया जायेगा।
8. किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रदेश अनुसूच्य नहीं किया जायेगा।
9. प्रदेश पंक्ति पूर्ण करने के पश्चात् तीन दिन के अंदर शुल्क आनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा प्रदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. निर्धारित निधि को प्रदेश के निधि उपस्थित न होने पर आगे उसका प्रदेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
11. प्रदेश लेन के समय अभ्यर्थी बॉटल आईओ सीओ साथ साथ। जिसके पास नहीं है वे पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आये ताकि उनकी बॉटल आईओ सीओ बनायी जा सके।
12. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रदेश कमानुसार स्थान उपलब्ध होने एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही अनुसूच्य होगा।
13. प्रतीक्षा सूची से प्रदेश उपलब्ध रिकॉर्ड स्थान साधेश सूचनांक कर्मक के अनुसार प्रदेश सम्पन्न होगा।  
नोट
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थन के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
2. प्रदेश से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश कार्यवाही सम्पन्न होगी।
4. टीओ सीओ, सीओसीओ एवं मास्ट्रेशन के अभाव में धारा को प्रदेश देना संभव नहीं होगा।

26/8/23

26/8/23